


उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

13AA 144144

उम्मीदवार द्वारा रिटर्निंग आफिसर
के समुख प्रारूप-26 के साथ
प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र
के साथ स्टाम्प पेपर संलग्न है।



65 गढ़पुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तरार्द्ध वोट राज्य विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए
रिटर्निंग अफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र.



मैं दुलाल मठल पत्र/पुत्री/पत्नी प्रफुल्ल मठल आयु ५५ वर्ष
जो गुरु/पौ. गुलाम भोल (कोपा लुधाती) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/ करती हूँ/ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/ करती हूँ :—

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/ करेगी):

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नहीं
(II) पुलिस थाना (थाने) नहीं जिला (जिले) नहीं राज्य
(III) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है नहीं
(IV) न्यायालय,जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की कई नहीं
(V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे नहीं
(VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/ है नहीं

2. मुझे किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/ नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नहीं
(II) न्यायालय,जिसने दंडित किया है नहीं
(III) पुलिस थाना (थाने) नहीं जिला (जिले) राज्य
(IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है नहीं
(V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/ सुनाए गए थे नहीं
(VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/ रोके गए हैं नहीं

स्थान:— गढ़पुर

तारीख:— १३/१०/२०१२

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/ करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वर्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्पर्य वाले छिपाई नहीं गई है।

गढ़पुर स्थान पर आज तारीख १३/१०/२०१२ को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी : इस प्रस्तुति के स्तम्भ जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जाए।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर
पृष्ठ 15 का 6

Dubal mandal 13/10/2012